"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 77] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2011—चैत्र 4, शक 1933

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक एफ-16/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/10/432.—दिनांक 18-3-2011 को नगर पंचायत सकरी, जिला-बिलासपुर के 04 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-16/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. दुखीराम कोरी, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसंबर 2009 नगर पंचायत, सकरी, जिला बिलासपुर, छ. ग.

2. द्वारिकाप्रसाद सूर्यवंशी अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसंबर 2009 नगर पंचायत, सकरी, जिला बिलासपुर छ. ग.

3. नर्मदाप्रसाद कोरी, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसंबर 2009 नगर पंचायत, सकरी, जिला बिलासपुर, छ. ग.

4. रविकुमार मेहर, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसंबर 2009 नगर पंचायत, सकरी, जिला बिलासपुर, छ. ग.

आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)

पारित दिनांक 18 मार्च 2011

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर के प्रतिवेदन दिनांक 2 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतंत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत सकरी के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 5 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 15 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत सकरी के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों दुखीराम कोरी, द्वारिकाप्रसाद सूर्यवंशी, नर्मदाप्रसाद कोरी एवं रविकुमार मेहर द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की आखरी दिनांक 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले उपरोक्त 4 अभ्यर्थियों दुखीराम कोरी, द्वारिकाप्रसाद सूर्यवंशी, नर्मदाप्रसाद कोरी एवं रविकुमार मेहर को दिनांक 8 मार्च 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में चाहा गया. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों दुखीराम कोरी, द्वारिकाप्रसाद सूर्यवंशी, नर्मदाप्रसाद कोरी एवं रविकुमार मेहर को दिनांक 11 मार्च 2010 को तामील किया गया है. दुखीराम कोरी द्वारा अपना जवाब दिनांक 15 मार्च 2010 को तथा रविकुमार मेहर द्वारा अपना जवाब दिनांक 18 मार्च 2010 को प्रस्तुत किया गया है. कारण बताओ सूचना विधिवत् तामील होने के उपरांत भी शेष 2 अभ्यर्थियों द्वारिकाप्रसाद सूर्यवंशी एवं नर्मदाप्रसाद कोरी द्वारा अपना जवाब निर्धारित अवधि में अथवा उसके बाद आज दिनांक पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि उपरोक्त दोनों अभ्यर्थियों को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. अभ्यर्थी दुखीराम कोरी ने अपने जवाब में यह उल्लेख किया है कि उनके परिवार के सदस्य का निधन हो जाने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा लेखाधिकारी निर्वाचन कार्यालय, बिलासपुर में दिनांक 15 फरवरी 2010 को जमा कर दिया था, जिसकी पावती प्राप्त किया था. राज्य निर्वाचन आयोग से दिनांक 10 मार्च 2010 को कारण बताओ सूचना प्राप्त होने पर निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं होने की जानकारी होने पर पुन: दिनांक 11 मार्च 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा जमा कर दिया.

5. अभ्यर्थी रविकुमार मेहर ने अपने जवाब में यह उल्लेख किया है कि उनके द्वारा प्रथम बार चुनाव में भाग लेने के कारण जानकारी नहीं होने से निर्वाचन व्यय लेखा नायब तहसीलदार सकरी को प्रस्तुत कर दिया गया था. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना दिनांक 11 मार्च 2010 प्राप्त होने पर निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया गया.

6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर ने उपरोक्त अभ्यर्थी दुखीराम कोरी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जवाब के सन्दर्भ में अपने ज्ञापन क्रमांक स्था.निर्वा./न.पा.आ.नि./निर्वा. व्यय लेखा/2010/960, दिनांक 9 अगस्त 2010 में अभिमत दिया है कि अभ्यर्थी दुखीराम कोरी द्वारा प्रावधानों की जानकारी होने के उपरान्त भी निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से दिनांक 11 मार्च 2010 को प्रस्तुत किया गया है. अतएव इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया है. इसी प्रकार अभ्यर्थी रविकुमार मेहर द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जवाब के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर ने अपने ज्ञापन क्रमांक स्था. निर्वा./न.पा.आ.नि./निर्वा. व्यय लेखा/2010/1078, दिनांक 2 नवंबर 2010 द्वारा अभिमत दिया है कि अभ्यर्थी रविकुमार मेहर द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में जमा नहीं किया जाकर आयोग से कारण बताओ सूचना प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 15 मार्च 2010 को निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है. अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है.

7. अभ्यर्थी दुखीराम कोरी द्वारा प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में उन्हें सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 24 फरवरी 2011 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र जारी किया गया. सूचना पत्र इन्हें दिनांक 4 फरवरी 2011 को तामील होने के उपरान्त भी वे सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 24 फरवरी 2011 को अनुपस्थित रहे जिसके कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई. अभ्यर्थी रविकुमार मेहर द्वारा प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करते हुए अभ्यर्थी को दिनांक 29 दिसम्बर 2010 को सुना गया तथा इनका कथन लिया गया. अपने कथन में अभ्यर्थी रविकुमार मेहर ने स्वीकार किया है कि निर्वाचन में प्रथम बार भाग लेने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा तहसीलदार सकरी को प्रस्तुत किया था. निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने बाबत् आयोग से जारी कारण बताओ सूचना मिलने के उपरान्त उन्होंने दिनांक 11 मार्च 2010 को जिला निर्वाचन अधिकारी को व्यय लेखा प्रस्तुत किया.

8. प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों दुखीराम कोरी, द्वारिकाप्रसाद सूर्यवंशी, नर्मदाप्रसाद कोरी एवं रविकुमार मेहर ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामांनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अभ्यर्थी दुखीराम कोरी द्वारा यद्यपि जवाब प्रस्तुत किया गया है फिर भी उनके जवाब के परिशीलन करने से यह स्पष्ट है कि निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखरी तारीख 27 जनवरी 2010 के पश्चात् करीब दो माह विलम्ब से उक्त निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया है. निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण परिवार के सदस्य का निधन होना बताया है किन्तु निधन कब हुआ इसका उल्लेख नहीं किया है तथा इस संबंध में कोई साक्ष्य भी नहीं दिया है. अतः उनका जवाब समाधानकारक नहीं माना जा सकता है. आयोग द्वारा इस संबंध में उन्हें समक्ष सुनवाई हेतु अवसर दिये जाने के उपरान्त निर्धारित तिथि 24 फरवरी 2011 को सूचना होने पर भी वे अनुपस्थित रहे. अतएव इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई. इसी प्रकार अभ्यर्थी रविकुमार मेहर के जवाब के परिशीलन करने से यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखरी तारीख 27 जनवरी 2010 के बाद करीब दो माह विलम्ब से उक्त व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है. अभ्यर्थी रविकुमार मेहर ने अपने जवाब तथा कथन में यह उल्लेख किया है कि प्रथम बार निर्वाचन में भाग लेने के कारण तहसीलदार सकरी को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया था किन्तु आयोग द्वारा कारण बताओ

सूचना प्राप्त होने पर उन्होंने दिनांक 11 मार्च 2010 को जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया. अभ्यर्थी रविकुमार मेहर की दलील है कि प्रथम बार निर्वाचन में भाग लेने के कारण निर्वाचन संबंधी जानकारी के अभाव में उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा का विवरण तहसीलदार सकरी को प्रस्तुत किया गया. इस दलील के सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि कानून की जानकारी न होने के कारण की गई त्रुटि क्षम्य नहीं है. अभ्यर्थी द्वारा तहसील कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है. तहसीलदार सकरी को अगर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है तो भी उसे विधि का अनुपालन नहीं माना जा सकता है.

9. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत सकरी के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों दुखीराम कोरी, द्वारिकाप्रसाद सूर्यवंशी, नर्मदाप्रसाद कोरी एवं रविकुमार मेहर ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल नहीं किया तथा अभ्यर्थीगण द्वारिकाप्रसाद सूर्यवंशी तथा नर्मदाप्रसाद कोरी ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. यद्यपि अभ्यर्थियों दुखीराम कोरी एवं रविकुमार मेहर द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से क्रमश: दिनांक 11 मार्च 2010 तथा 15 मार्च 2010 को प्रस्तुत किया गया है लेकिन उससे अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती. अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण दुखीराम कोरी, द्वारिकाप्रसाद, नर्मदाप्रसाद कोरी एवं रविकुमार मेहर प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिए कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तद्नुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त चारों अभ्यर्थियों दुखीराम कोरी, द्वारिकाप्रसांद सूर्यवंशी, नर्मदाप्रसाद कोरी एवं रविकुमार मेहर द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण उन्हें इस आदेश की तारीख से चार वर्ष छ: माह की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

10. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 18 मार्च 2011 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.